भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2991

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों का उन्नयन/नवीकरण

2991. डॉ. राजेश मिश्रा:

डॉ. राजकुमार सांगवान:

श्री काली चरण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच महीनों के दौरान कितने अस्पतालों का उन्नयन किया गया है;

(ख) ऐसे निर्माणाधीन नए अस्पताल परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) देश भर में ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जो निर्माण-पूर्व चरण में हैं;

(घ) ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जो आधुनिकीकरण, उन्नयन और नवनिर्माण की प्रक्रिया में हैं; और

(ङ) अब तक पूर्ण हो चुकी अस्पताल परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार लोगों को विभिन्न योजनाओं (क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (एनएचएम) और (ग) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के माध्यम से सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। इन 3 योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है:-

क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के दो घटक हैं- (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और, (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई की 75

परियोजनाओं के उन्नयन को अनुमोदित किया गया है।

ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के माध्यम से भवन अवसंरचना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के लिए पिछले तीन वर्षों (चालू वित्तीय वर्ष सहित) के दौरान जिन अस्पतालों/केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनकी संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है। निर्माण के अतिरिक्त कार्यकलापों और कार्यों की प्रगति पर निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

ग) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक (सीएस) शामिल हैं। इस योजना के सीएसएस घटकों के अंतर्गत, उन कार्यकलापों जिनमें योजना अवधि 2021-2026 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों/संस्थानों का संबंध है, पूर्ण हो चुके/निर्माणाधीन कार्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-**I**

जिन अस्पतालों/केंद्रों की भवन अवसंरचना के लिए चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	**2022-23** और **2023-24**	**2024-25**	कुल
1	जिला अस्पताल	95	178	273
2	उप-जिला अस्पताल	64	72	136
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	407	153	560
4	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	786	479	1,265
5	उप-केंद्र	4,575	4,416	8,991
	कुल	**5,927**	**5,298**	**11,225**

योजना के सीएसएस घटकों के अंतर्गत, निम्नलिखित पाँच गतिविधियाँ हैं जिनके लिए योजना अवधि 2021-2026 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

1. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों जिन्हें अब **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)** नाम से जाना जाता है; के रूप में **17,788 भवन रहित उप-केंद्रों** का निर्माण।
2. शहरी क्षेत्रों में विशेषकर झुग्गी-झोपड़ी और झुग्गी-झोपड़ी जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हुए **11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों** अब एएएम की स्थापना।
3. ब्लॉक स्तर पर 3382 **ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू)** की स्थापना,
4. देश में **730 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं** की स्थापना, **जिसमें प्रत्येक जिले में एक ऐसी प्रयोगशाला** होगी।
5. 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में **602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक** स्थापित करना।

   वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **9594 भवन रहित-एएएम (उप स्वास्थ्य केंद्र - आयुष्मान आरोग्य मंदिर), 3051 यू-एएएम (एचडब्ल्यूसी), 1324 बीपीएचयू, जिला स्तर पर 504 आईपीएचएल और 395 सीसीबी** के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए **20451.31 करोड़ रुपये** की राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक-III

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में पूर्ण हो चुके/निर्माणाधीन कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	पूर्ण हो चुके कार्य	निर्माणाधीन कार्य
1.	एम्स, नई दिल्ली	नया ओपीडी ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक, मातृ एवं शिशु ब्लॉक, नया प्राइवेट ब्लॉक, जेरिएट्रिक्स ब्लॉक	क्रिटिकल केयर और संक्रामक रोग ब्लॉक, सुपर-स्पेशलिटी ओपीडी ब्लॉक, मुख्य अस्पताल का वार्ड ब्लॉक
2.	सफदरजंग अस्पताल	स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, नया इमरजेंसी ब्लॉक, सुपर-स्पेशलिटी कम प्राइवेट वार्ड ब्लॉक।	नर्सिंग कर्मियों के लिए द्वारका में आवासीय परिसर
3.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	डॉक्टर्स हॉस्टल ब्लॉक	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
4.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स	ऑन्कोलॉजी ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक, ओपीडी ब्लॉक और आईपीडी ब्लॉक, दुर्घटनाएं और आपातकालीन ब्लॉक	रसोई, कपड़े धोने और केंद्रीय विसंक्रमित आपूर्ति विभाग
5.	इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, यूजी मेडिकल कॉलेज, 7 छात्रावास, नर्सिंग कॉलेज	पीएमएबीएचआईएम के अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी)
6.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	-----	ओपीडी ब्लॉक, ब्लड बैंक, कैजुअल्टी बिल्डिंग फोरेंसिक बिल्डिंग, कम्युनिटी मेडिसिन ब्लॉक, मैटरनिटी वार्ड ब्लॉक, लेक्चर हॉल, यूजी, पीजी और नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय क्वार्टर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी)
7.	क्षेत्रीय पराचिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल	गेस्ट हाउस, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल ब्लॉक स्टाफ नर्स क्वार्टर, जनरल हॉस्टल ब्लॉक	आवासीय ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, इनडोर खेल परिसर, ऑडिटोरियम।
8	क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल (आरएचटीसी), नजफगढ़	अस्पताल भवन जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक भी शामिल है	

*****